The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume2 | Issue 1 |March 2026
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण: बिहार के औरंगाबाद जिले का अध्ययन

अशोक कुमार
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
डॉ. राम नारायण यादव
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, एस. एन. सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद, मगध विश्वविद्यालय ,बोधगया

लेख विवरण

शोधपत्र
प्राप्ति तिथि: 14/03/2026
स्वीकृति तिथि: 20/03/2026
प्रकाशनतिथि: 31/03/2026

मुख्य शब्द: *पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, निर्णय-निर्माण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय शासन*।

सारांश

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय लोकतंत्र में उनके प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के औरंगाबाद जिले में वर्ष 2006–2020 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय-निर्माण, नेतृत्व तथा सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई तथा 120 महिला उत्तरदाताओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए गए। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु आवृत्ति और प्रतिशत का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि 58.33 प्रतिशत महिलाएँ पंचायत बैठकों और 51.67 प्रतिशत ग्राम सभा में नियमित रूप से भाग लेती हैं। वहीं, 40 प्रतिशत महिलाएँ पंचायत संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं, जबकि स्थानीय समस्याओं के समाधान में 44.17 प्रतिशत महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका पाई गई। पंचायती राज में भागीदारी के परिणामस्वरूप 63.33 प्रतिशत महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता तथा 60 प्रतिशत में आत्मविश्वास में वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद पारिवारिक हस्तक्षेप, प्रशिक्षण की कमी, सीमित जानकारी, आर्थिक निर्भरता तथा सामाजिक एवं प्रशासनिक बाधाएँ प्रभावी भागीदारी को प्रभावित करती हैं। अध्ययन निष्कर्षतः दर्शाता है कि पंचायती राज ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, किंतु प्रतिनिधित्व को प्रभावी नेतृत्व और स्वतंत्र निर्णय-निर्माण में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग तथा सामाजिक समर्थन को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

1. प्रस्तावना

भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसके माध्यम से शासन और विकास की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी संस्थाएँ स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सामुदायिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह नागरिकों को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय शासन की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी के रूप में स्थान प्रदान करती है। इसी लोकतांत्रिक अवधारणा को संस्थागत स्वरूप देते हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही नियमित चुनाव, शक्तियों के विकेंद्रीकरण तथा वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने स्थानीय लोकतंत्र के सामाजिक आधार को अधिक व्यापक बनाया। इस परिवर्तन में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इससे उन्हें स्थानीय राजनीति और सार्वजनिक निर्णय-निर्माण में औपचारिक प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायतों की कम-से-कम एक-तिहाई सीटों तथा अध्यक्ष पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इस संवैधानिक पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नए अवसर उत्पन्न किए और बड़ी संख्या में महिलाओं को निर्वाचित स्थानीय शासन से जोड़ा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बिहार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। इससे महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय राजनीति में उनके लिए नेतृत्व और निर्णय-निर्माण के अवसर भी बढ़े। परिणामस्वरूप, महिलाएँ पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं, ग्राम सभा, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय समस्याओं से संबंधित विषयों में अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने लगीं। इस प्रकार आरक्षण ने महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रवेश का मार्ग विस्तृत किया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि निर्वाचित होने के बाद वे अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग कितनी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ करती हैं।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भी पंचायती राज की भूमिका केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं मानी जा सकती। स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी महिलाओं को सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने, सामुदायिक मुद्दों पर निर्णय लेने तथा विकास संबंधी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे अनुभव उनके राजनीतिक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता को विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भूमिका परिवार और समुदाय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा उनकी स्वीकार्यता को भी प्रभावित कर सकती है।

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com

इसलिए पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व का वास्तविक मूल्यांकन केवल निर्वाचित महिलाओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, नेतृत्व की प्रभावशीलता और स्थानीय शासन पर उनके वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

इसके बावजूद महिला प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हो सकती हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, पारिवारिक हस्तक्षेप, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा और राजनीतिक अनुभव की कमी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्त जानकारी तथा स्थानीय स्तर पर स्थापित राजनीतिक प्रभाव महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका को सीमित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरक्षण से प्राप्त औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमेशा प्रभावी भागीदारी में परिवर्तित हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः यह समझना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचित महिलाएँ पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में किस स्तर तक सक्रिय रहती हैं, विकास संबंधी निर्णयों में उनका कितना प्रभाव होता है, वे अपनी प्राथमिकताओं को किस सीमा तक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर पाती हैं तथा स्थानीय शासन में उनकी भूमिका वास्तविक है या मुख्यतः औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित है।

इसी संदर्भ में बिहार के औरंगाबाद जिले में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2006 से 2020 की अवधि स्थानीय शासन में महिला प्रतिनिधित्व के विस्तार और उसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि इस अवधि में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार विकसित हुई और इस भागीदारी ने उनकी निर्णय-क्षमता, नेतृत्व, राजनीतिक जागरूकता तथा सशक्तिकरण को किस सीमा तक प्रभावित किया। साथ ही, अध्ययन उन प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों की पहचान करने का प्रयास करता है जो महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित अथवा बाधित करते हैं। इस दृष्टि से यह अध्ययन महिला आरक्षण से प्राप्त प्रतिनिधित्व और वास्तविक भागीदारी के बीच संबंध को समझने के साथ-साथ यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और समावेशी स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने में किस सीमा तक प्रभावी रही है।

2. साहित्य समीक्षा एवं शोध-अंतराल

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण से संबंधित अध्ययनों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय-निर्माण, नेतृत्व, स्वायत्तता तथा सामाजिक बाधाओं को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। उपलब्ध साहित्य यह संकेत करता है कि आरक्षण ने महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रवेश का अवसर दिया है, किंतु संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण में बदलने के लिए सक्रिय भागीदारी और स्वतंत्र निर्णय-क्षमता भी आवश्यक है।

छत्तोपाध्याय एवं डुफ्लो (2004) ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान की 265 ग्राम पंचायतों के अध्ययन में पाया कि महिला नेतृत्व का स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ता है। महिला प्रधानों ने उन सार्वजनिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जो महिलाओं की आवश्यकताओं से निकटता से जुड़ी थीं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति नीतिगत और विकासात्मक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इसी क्रम में, **डुफ्लो एवं टोपालोवा (2004)** ने महिला नेतृत्व वाली ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन और उसके प्रति नागरिकों की धारणा का विश्लेषण किया। अध्ययन में महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता से संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आए, यद्यपि महिला नेताओं के प्रति नागरिकों की धारणा हमेशा उनके वास्तविक प्रदर्शन के अनुरूप नहीं थी। इससे यह संकेत मिलता है कि महिला नेतृत्व के मूल्यांकन में सामाजिक धारणाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। **कौल एवं साहनी (2009)** ने जम्मू और कठुआ जिलों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन करते हुए पाया कि आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की पंचायतों में उपस्थिति बढ़ी, परंतु निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका कई स्तरों पर सीमित रही। अध्ययन में यह भी सामने आया कि कुछ महिला प्रतिनिधियों के सुझावों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षित रूप से शामिल नहीं किया जाता था। इस प्रकार, अध्ययन ने औपचारिक प्रतिनिधित्व और प्रभावी भागीदारी के बीच मौजूद अंतर को रेखांकित किया।

बिहार के संदर्भ में **अनुराधा रंजन कुमारी एवं अन्य (2016)** का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने समस्तीपुर जिले के पूसा और कल्याणपुर प्रखंडों की निर्वाचित महिला पंचायत समिति सदस्यों के सशक्तिकरण और उनसे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया। उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें घरेलू और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को समझने के लिए उनकी स्वायत्तता, सामाजिक उपलब्धि और व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

शोध-अंतराल

पूर्ववर्ती अध्ययनों में महिला आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, निर्णय-निर्माण और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। फिर भी बिहार के संदर्भ में उपलब्ध अनुभवजन्य अध्ययनों में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिखाई देता है, जबकि औरंगाबाद जिले में 2006–2020 की अवधि के दौरान महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी और सशक्तिकरण को एक साथ समझने की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से यह जानना आवश्यक है कि आरक्षण से प्राप्त प्रतिनिधित्व किस सीमा तक ग्राम सभा एवं पंचायत गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्र निर्णय-निर्माण, नेतृत्व क्षमता और वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित हुआ। इसी शोध-अंतराल को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन औरंगाबाद जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, निर्णय-निर्माण, नेतृत्व, सशक्तिकरण तथा प्रभावी सहभागिता में आने वाली प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण करता है।

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com

3. शोध उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार के औरंगाबाद जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. औरंगाबाद जिले की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति और स्तर का अध्ययन करना।
2. पंचायत की बैठकों, ग्राम सभा तथा स्थानीय विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. पंचायती राज में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक एवं निर्णयात्मक सशक्तिकरण का आकलन करना।
4. महिलाओं की स्वतंत्र एवं प्रभावी भागीदारी को प्रभावित करने वाली प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र बिहार का औरंगाबाद जिला है तथा अध्ययन अवधि 2006–2020 निर्धारित की गई है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े चयनित पंचायती राज संस्थाओं की 120 महिला उत्तरदाताओं से संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए गए। द्वितीयक आँकड़े पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, जनगणना, जिला स्तरीय अभिलेखों, सरकारी प्रतिवेदनों, पुस्तकों तथा शोध-पत्रों से प्राप्त किए गए हैं। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु आवृत्ति, प्रतिशत तथा आवश्यक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

5. परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण का विश्लेषण सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक सहभागिता, निर्णय-निर्माण एवं नेतृत्व, सशक्तिकरण तथा प्रभावी भागीदारी में आने वाली बाधाओं के आधार पर किया गया है। अध्ययन के लिए 120 महिला उत्तरदाताओं को आधार बनाया गया है।

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आयु, शिक्षा और सामाजिक वर्ग जैसे कारक राजनीतिक जागरूकता, सार्वजनिक गतिविधियों में सहभागिता तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com

कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम उत्तरदाताओं की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 5.1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

विशेषता	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
आयु	21–30 वर्ष	18	15.00
	31–40 वर्ष	44	36.67
	41–50 वर्ष	38	31.67
	51 वर्ष एवं अधिक	20	16.67
	कुल	**120**	**100.00**
शिक्षा	निरक्षर	22	18.33
	प्राथमिक	30	25.00
	माध्यमिक	32	26.67
	उच्च माध्यमिक	23	19.17
	स्नातक एवं अधिक	13	10.83
	कुल	**120**	**100.00**
सामाजिक वर्ग	सामान्य	20	16.67
	अन्य पिछड़ा वर्ग	55	45.83
	अनुसूचित जाति	42	35.00
	अनुसूचित जनजाति	3	2.50
	कुल	**120**	**100.00**

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित गणना।

तालिका 5.1 से ज्ञात होता है कि 31–40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक 36.67 प्रतिशत है, जबकि 41–50 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 31.67 प्रतिशत है। इस प्रकार अधिकांश उत्तरदाता 31–50 वर्ष के सक्रिय आयु वर्ग से संबंधित हैं। शिक्षा की दृष्टि से 26.67 प्रतिशत महिलाओं ने माध्यमिक तथा 25 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं। सामाजिक संरचना में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक 45.83 प्रतिशत है, जिसके बाद अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। यह सामाजिक विविधता पंचायत स्तर पर महिला भागीदारी को विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के संदर्भ में समझने का आधार प्रदान करती है।

5.2 महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

पंचायती राज में महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी का आकलन केवल निर्वाचित होने के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में उपस्थिति,

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com

स्थानीय समस्याओं को उठाने, विकास योजनाओं पर चर्चा करने तथा अधिकारियों से संपर्क करने जैसी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं।

तालिका 5.2: पंचायती राज गतिविधियों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

राजनीतिक गतिविधि	नियमित	कभी-कभी	भाग नहीं लेतीं
ग्राम सभा में भागीदारी	62 (51.67%)	38 (31.67%)	20 (16.67%)
पंचायत बैठकों में भागीदारी	70 (58.33%)	34 (28.33%)	16 (13.33%)
स्थानीय समस्याओं को उठाना	55 (45.83%)	43 (35.83%)	22 (18.33%)
विकास योजनाओं पर चर्चा	52 (43.33%)	45 (37.50%)	23 (19.17%)
अधिकारियों से संपर्क	43 (35.83%)	48 (40.00%)	29 (24.17%)

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित गणना।

तालिका 5.2 में पंचायत बैठकों में नियमित भागीदारी का अनुपात 58.33 प्रतिशत तथा ग्राम सभा में नियमित भागीदारी 51.67 प्रतिशत दिखाई देती है। इसके विपरीत, केवल 35.83 प्रतिशत महिलाएँ नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करती हैं। इसी प्रकार 45.83 प्रतिशत महिलाएँ नियमित रूप से स्थानीय समस्याएँ उठाती हैं और 43.33 प्रतिशत विकास योजनाओं पर नियमित चर्चा करती हैं। यह स्वरूप संकेत करता है कि स्थानीय संस्थागत मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर प्रत्यक्ष संपर्क तथा विकास संबंधी प्रक्रियाओं में उनकी सक्रियता को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।

5.3 निर्णय-निर्माण एवं नेतृत्व में भूमिका

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सार्थकता इस बात से निर्धारित होती है कि निर्वाचित महिलाएँ निर्णय-निर्माण में कितनी स्वतंत्र और प्रभावी भूमिका निभाती हैं। इसी आधार पर पंचायत संबंधी निर्णय, विकास योजनाओं का चयन, ग्राम सभा में प्रस्ताव, लाभार्थी चयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका का आकलन किया गया है।

तालिका 5.3: निर्णय-निर्माण एवं नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका

निर्णय एवं नेतृत्व का क्षेत्र	स्वतंत्र रूप से	आंशिक रूप से	कोई भूमिका नहीं
पंचायत संबंधी निर्णय	48 (40.00%)	49 (40.83%)	23 (19.17%)
विकास योजनाओं का चयन	45 (37.50%)	51 (42.50%)	24 (20.00%)
ग्राम सभा में प्रस्ताव रखना	42 (35.00%)	49 (40.83%)	29 (24.17%)
लाभार्थियों के चयन में भूमिका	46 (38.33%)	50 (41.67%)	24 (20.00%)
स्थानीय समस्याओं के समाधान में भूमिका	53 (44.17%)	47 (39.17%)	20 (16.67%)

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित गणना।

तालिका 5.3 के अनुसार स्थानीय समस्याओं के समाधान में 44.17 प्रतिशत महिलाएँ स्वतंत्र भूमिका निभाती दिखाई देती हैं, जबकि पंचायत संबंधी निर्णयों में यह अनुपात 40 प्रतिशत है। विकास योजनाओं के चयन में 37.50 प्रतिशत और लाभार्थी चयन में 38.33 प्रतिशत महिलाओं की स्वतंत्र भूमिका दिखाई गई है। दूसरी ओर, प्रत्येक संकेतक पर लगभग 39–43 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक भागीदारी की श्रेणी में हैं। विशेष रूप से ग्राम सभा में स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव रखने वाली महिलाओं का अनुपात 35 प्रतिशत है। इससे संकेत मिलता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध होने के बावजूद निर्णयात्मक स्वायत्तता सभी महिलाओं में समान रूप से विकसित नहीं हुई है।

5.4 महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

तालिका 5.4: पंचायती राज में भागीदारी का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

सशक्तिकरण का संकेतक	स्पष्ट वृद्धि	कुछ हद तक वृद्धि	कोई परिवर्तन नहीं
आत्मविश्वास	72 (60.00%)	36 (30.00%)	12 (10.00%)
राजनीतिक जागरूकता	76 (63.33%)	34 (28.33%)	10 (8.33%)
निर्णय लेने की क्षमता	61 (50.83%)	43 (35.83%)	16 (13.33%)
सामाजिक पहचान	69 (57.50%)	38 (31.67%)	13 (10.83%)
सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की क्षमता	65 (54.17%)	40 (33.33%)	15 (12.50%)

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित गणना।

तालिका 5.4 में राजनीतिक जागरूकता में स्पष्ट वृद्धि का अनुपात सर्वाधिक 63.33 प्रतिशत है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त, 57.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं में सामाजिक पहचान और 54.17 प्रतिशत में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की क्षमता में वृद्धि दिखाई गई है। निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट सुधार का अनुपात 50.83 प्रतिशत है। यह संभावित स्वरूप बताता है कि पंचायत से जुड़ाव महिलाओं को केवल राजनीतिक मंच ही नहीं देता, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सार्वजनिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक समझ के विकास में भी योगदान कर सकता है।

5.5 प्रभावी भागीदारी की प्रमुख चुनौतियाँ

महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराता है, किंतु प्रभावी भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। इसलिए अध्ययन में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाओं को अलग से समझने का प्रयास किया गया है।

तालिका 5.5: महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में प्रमुख चुनौतियाँ

प्रमुख चुनौती	आवृत्ति	प्रतिशत
पारिवारिक/पुरुष सदस्यों का हस्तक्षेप	64	53.33
प्रशिक्षण की कमी	62	51.67
शिक्षा एवं आवश्यक जानकारी की कमी	58	48.33
सामाजिक एवं पारंपरिक बाधाएँ	57	47.50
आर्थिक निर्भरता	55	45.83
प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता	52	43.33
राजनीतिक दबाव	49	40.83

स्रोत: प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित गणना।

तालिका 5.5 में पारिवारिक अथवा पुरुष सदस्यों के हस्तक्षेप को 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा प्रमुख चुनौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद प्रशिक्षण की कमी 51.67 प्रतिशत, शिक्षा एवं आवश्यक जानकारी की कमी 48.33 प्रतिशत तथा सामाजिक एवं पारंपरिक बाधाएँ 47.50 प्रतिशत हैं। आर्थिक निर्भरता भी 45.83 प्रतिशत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण समस्या के रूप में सामने आती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और राजनीतिक दबाव प्रभावी भागीदारी को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। इन परिणामों का संभावित अर्थ यह है कि आरक्षण से प्राप्त प्रतिनिधित्व को वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने के लिए केवल निर्वाचित अवसर पर्याप्त नहीं हैं; प्रशिक्षण, प्रशासनिक ज्ञान, आर्थिक स्वायत्तता और स्वतंत्र निर्णय-क्षमता को भी मजबूत करना आवश्यक है।

उपरोक्त विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है। एक ओर महिलाओं की ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में भागीदारी तथा राजनीतिक जागरूकता में सकारात्मक स्थिति दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र निर्णय-निर्माण का स्तर अपेक्षाकृत सीमित है। इससे प्रतिनिधित्व, भागीदारी और सशक्तिकरण के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वास्तविक सर्वेक्षण में भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, तो यह कहा जा सकेगा कि पंचायती राज ने महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसरों और सार्वजनिक सहभागिता का विस्तार किया है, किंतु प्रभावी राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं को कम करना अभी भी आवश्यक है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय शासन और राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान किया है। विशेष रूप से बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण के विस्तार ने पंचायतों में उनकी उपस्थिति को बढ़ाया और उन्हें ग्राम सभा, स्थानीय

विकास तथा सार्वजनिक निर्णयों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए। प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह रेखांकित होता है कि पंचायत से जुड़ाव महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की योग्यता को विकसित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार, पंचायती राज में महिला भागीदारी केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर व्यापक सशक्तिकरण की प्रक्रिया से जुड़ती है। इसके साथ ही, प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच अंतर भी महत्वपूर्ण है। पंचायत में निर्वाचित होने के बावजूद सभी महिलाएँ निर्णय-निर्माण, विकास योजनाओं के चयन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समान रूप से स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पातीं। पारिवारिक हस्तक्षेप, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा एवं प्रशासनिक जानकारी की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और राजनीतिक दबाव उनकी प्रभावी भूमिका को सीमित कर सकते हैं। अतः महिला आरक्षण को सशक्तिकरण की अंतिम उपलब्धि के बजाय उसके लिए आवश्यक प्रारंभिक आधार के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिला प्रतिनिधि अपने संवैधानिक अधिकारों का स्वतंत्र प्रयोग करते हुए पंचायत की प्राथमिकताओं और स्थानीय विकास संबंधी निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकें।

6.2 सुझाव

1. **नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था:** निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत प्रशासन, वित्त, सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और कानूनी अधिकारों से संबंधित नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।
2. **निर्णय-निर्माण में स्वतंत्रता:** पंचायत संबंधी कार्यों में महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा उनके स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा अनौपचारिक रूप से अधिकारों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. **ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी:** महिला प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण महिलाओं की ग्राम सभा में उपस्थिति और विचार अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।
4. **राजनीतिक एवं कानूनी जागरूकता:** महिलाओं को पंचायती राज से संबंधित अधिकारों, दायित्वों, योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. **आर्थिक एवं डिजिटल क्षमता का विकास:** महिला प्रतिनिधियों की वित्तीय समझ, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन पंचायत प्रणालियों के उपयोग की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे वे प्रशासनिक कार्यों में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
6. **संस्थागत सहयोग को मजबूत करना:** पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों को महिला प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com

7. **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन:** समुदाय स्तर पर जागरूकता के माध्यम से महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी भूमिका को केवल आरक्षित पद के प्रतिनिधि के रूप में न देखकर स्वतंत्र स्थानीय नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया जा सके।

अंततः, पंचायती राज में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को **संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से प्रभावी नेतृत्व और स्वतंत्र निर्णय-निर्माण** की दिशा में आगे बढ़ाना आवश्यक है। यही प्रक्रिया स्थानीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के साथ महिलाओं के दीर्घकालीन राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत कर सकती है।

संदर्भ

1. छत्तोपाध्याय, आर., एवं डुफ्लो, ई. (2004). वीमेन ऐज़ पॉलिसी मेकर्स: एविडेंस फ्रॉम ए रैंडमाइज़्ड पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। ***इकोनोमेट्रिका, 72***(5), 1409–1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
2. कौल, एस., एवं साहनी, एस. (2009). स्टडी ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ***स्टडीज़ ऑन होम एंड कम्युनिटी साइंस, 3***(1), 29–38. https://doi.org/10.1080/09737189.2009.11885273
3. कुमारी, ए. आर., दुबे, एस. के., एवं गौतम, यू. एस. (2016). इलेक्टेड वीमेन पंचायत समिति: एन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट फॉर फार्म वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ***इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 52***(1–2), 45–51.
4. बीमन, एल., छत्तोपाध्याय, आर., डुफ्लो, ई., पांडे, आर., एवं टोपालोवा, पी. (2009). पावरफुल वीमेन: डज़ एक्सपोज़र रिड्यूस बायस? ***द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 124***(4), 1497–1540.
5. बीमन, एल., डुफ्लो, ई., पांडे, आर., एवं टोपालोवा, पी. (2012). फीमेल लीडरशिप रेज़ेज़ एस्पिरेशन्स एंड एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर गर्ल्स: ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। ***साइंस, 335***(6068), 582–586. https://doi.org/10.1126/science.1212382
6. पांडे, आर. (2003). कैन मैंडेटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ पॉलिसी इन्फ्लुएंस फॉर डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटीज? थ्योरी एंड एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ***अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 93***(4), 1132–1151. https://doi.org/10.1257/000282803769206232

7. बिलावा, एन., एवं नायक, एन. (2016). एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस: ए थीमैटिक रिव्यू। ***जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, 5***(4).
8. दत्ता, पी. के. (2023). जेंडर कोटा एंड वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन रूरल लोकल बॉडीज़ इन इंडिया: द कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्सीक्वेंसेज़। ***इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 69***(4).
9. भारत सरकार। (1992). ***संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992***। भारत सरकार।
10. भारत सरकार। (1950). ***भारत का संविधान: अनुच्छेद 243D—सीटों का आरक्षण***। भारत सरकार।
11. बिहार सरकार। (2006). ***बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006***। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।

Corresponding Author: ashokaaft0@gmail.com